समक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ–नैनीताल

उपस्थित : मान0 श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्या0)

वाद संख्या– 94 / एन0बी0 / एस0बी0 / 2021

कॉ0 38 सी0 पी0 विजय डसीला (पुरूष), उम्र लगभग 38 वर्ष, पुत्र श्री गोविन्द सिंह डसीला, वर्तमान कार्यरत् पुलिस स्टेशन कोतवाली खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर।

..... अपीलार्थी / याचीकर्ता

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ क्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर, जिला ऊधम सिंह नगर। ।

..... विपक्षीगण

उपस्थिति : श्री एन0 के0 पपनै, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, ए0 पी0 ओ0, विपक्षीगण के अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः मई 23, 2022

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा विपक्षी सं0 3 द्वारा परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15.02.2021 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 14.08.2021 को अपास्त करने हेतु एवं याची की सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टि 'परिनिन्दा' को सेवा पुस्तिका से विलोपित करते हुये याची को समस्त सेवा लाभ प्रदान करने के आदेश पारित किये जायें अथवा याची द्वारा याचिका में किये गये कथन एवं तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण जैसा उचित समझे आदेश पारित करें।

2. संक्षेप में, याची द्वारा अपनी याचिका में कथन किया गया है कि विपक्षी सं0 3 द्वारा प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि से दिनांक 15.02.2021 को दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध याची द्वारा विपक्षी सं0 2 के समक्ष अपील में चुनौती दी गयी लेकिन विपक्षी सं0 2 द्वारा दिनांक 14.08.2021 को प्रार्थी / याची की अपील निरस्त की गयी। प्रार्थी / याची को दण्डित करने सम्बन्धी परिनिन्दा प्रविष्टि पूरी तरह अवैधानिक व विधि विरूद्ध दी गयी है तथा मजिस्ट्रियल जॉच दिनांक 30.01.2020 को आधार मानते हुये दी गयी है जो नियम विरूद्ध है क्योंकि याची के विरूद्ध दी गयी परिनिन्दा प्रतिकूल प्रविष्टि के बावत् कोई प्रारम्भिक जॉच नहीं की गयी और न ही प्रार्थी / याची को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया

जिस कारण से उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि पूरी तरह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जैसा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी **MD ECIL Vs. B. Karunakaran** एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा **WPSB No. 133 of 2015 "Mahesh Chandra Gupta Vs. State of Uttarakhand & others & WPSS No. 192 of 217 Constable 51 AP Jogendra Kumar Vs. State of Uttarakhand & others** में सिद्धान्त प्रतिपादित किय गय है जिस कारण से उपरोक्त आलोच्य आदेश दिनांक 15.02.2021 एवं 14.08.2021 अपास्त होने योग्य है।

3. प्रार्थी/याची वर्ष 2002 में कॉस्टेबिल के पद पर नियुक्त हुआ था और उसके उपरान्त कभी भी कोई आरोप—पत्र अथवा प्रतिकूल प्रविष्टि एवं चेतावनी प्रार्थी/याची को नहीं दी गयी और प्रार्थी/याची अपन कर्तव्यों का उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार संतोषजनक निर्वहन करता रहा। प्रार्थी/याची दिनांक 08.08.2019 को जब थाना कुण्डा में नियुक्त था तो उप—निरीक्षक जगत सिंह भण्डारी एवं प्रार्थी/याची अभियुक्त विशाल पुत्र गोपाल सिंह, निवासी गंगे बाबा रोड, कटोरताल थाना काशीपुर में मुकदमा अपराध सं0 88/15 और धारा 4/25 शस्त्र अधि0 में गैर जमानती अधिपत्र को तामील करने हेतु गये जिस दौरान उन्हें राजकीय विद्यालय सरवरखेड़ा मण्डी चौकी में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार सं0 यू0के0 19—1223 लावारिस स्थिति में मिली जिसे थाना कुण्डा में दाखिल किया तथा उप—निरीक्षक जगत सिंह भण्डारी द्वारा उक्त लावारिस कार का इन्द्राज थाना कुण्डा के मालखाना रजिस्टर में दर्ज नहीं कराया गया जिस कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अन्य मामले में बंदी अब्दुल करीम के सम्बन्ध में मजिस्ट्रियल जॉच की संस्तुति की गयी थी और जिसमें प्रार्थी/याची की अनुशासनहीनता और लापरवाही मनमाने तरीके से मानते हुये कहा गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्रार्थी/याची को कारण बताओ नोटिस देते हुये प्रार्थी/याची के विरूद्ध परिनिन्दा लेख दिया जाना, उल्लिखित किया गया जबकि कोई भी प्रारम्भिक जॉच नहीं की गयी और न ही प्रार्थी/याची से स्पष्टीकरण ही प्राप्त किया गया और सीधे अन्य मामले में संस्थित मजिस्ट्रियल जॉच आख्या दिनांक 30.01.2020 के आधार पर परिनिन्दा प्रविष्टि का दोषी पाते हुय दण्डित किया गया जो कि पूरी तरह से अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है एवं विपक्षी सं0 3 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कुण्डा पर पंजीकृत एफआईआर नं0 115/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित विचाराधीन बन्दी अब्दुल करीम उर्फ कल्लन पुत्र अब्दुल हमीद की पुलिस अभिरक्षा में दि0 28—09—2019 की रात्रि में मृत्यु होने के सम्बन्ध में सम्पादित मजिस्ट्रेटी जॉच के दौरान इसके द्वारा उक्त स्विफ्ट कार को चलाकर थाना न लाना बताया गया जबकि उ0नि0 जगत सिंह भण्डारी द्वारा उक्त कार को इसके द्वारा चलाकर थाना लाया जाना अंकित कराया गया है। इस प्रकार इसके द्वारा मजिस्ट्रीयल जॉच के दौरान दिये गये विरोधाभासी बयानों में सन्देह उत्पन्न करता है तथा इसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता

है, जो इसका अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जिसकी परिनिन्दा की जाती है। कानि0 38 विजय सिंह डसीला का अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है, लेकिन यह शब्दावली विधि विरूद्ध एवं अपमानजनक तो है ही मानवीय गरिमा के भी प्रतिकूल है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली—1991 के आधार पर पुलिस एक्ट की धारा 46, सपठित धारा—7 और सपठित अनुच्छेद—311 एवं 309 भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में किया गया है लेकिन धारा—7 में उपरोक्त शब्दों का प्रयोग दण्ड के लिये नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह कारण बताओ नोटिस पोषणीय नहीं है, क्योंकि इसके जारी करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो एवं प्रकरण की गहन परीक्षण के उपरान्त एतद्द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मचारी/अधिकारी की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश—2002 के नियम 14 (2) की विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार परिनिन्दा प्रविष्टि आरोपी कान्स0 38 ना0पु0 विजय डसीला की चरित्र पंजिका में अंकित की जाती है।

4. यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याची एक सिपाही के पद पर नियुक्त था और वह उप—निरीक्षक श्री जगत सिंह भण्डारी के अधीन ड्यूटी पर नियुक्त था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा बिना विभागीय जॉच के प्रार्थी/याची को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसके उत्तर में प्रार्थी/याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि लावारिस माल का थाने के मालखाना रजिस्टरमें प्रविष्टि करने का प्रार्थी/याची का दायित्व नहों है मालखाना रजिस्टर थाने के मालखाना मोहर्रिर/हेड मोहर्रिर के चार्ज में होता है उन्हीं का दायित्व है कि जीडी में माल सम्बन्धी की गयी किसी भी प्रविष्टि करने का दायित्व मालखाना मोहर्रिर/हेड मोहर्रिर का है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एन0 के0 पपनै एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना।

6. याचिकाकता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि विपक्षी सं0 3 तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये याची को किसी द्वेष भाव से क्षति पहुॅचाने के आशय से मनमाने तरीके से याची की सेवा पुस्तिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज करने हेतु दिनांक 15.02.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध याची द्वारा विपक्षी सं0 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी सं0 2 द्वारा भी विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही विपक्षी सं0 3 द्वारा दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि को अपीलीय आदेश दिनांक 14.08.2021 से पुष्ट किया गया, जिस कारण से याचिकाकर्ता को माननीय अधिकरण के समक्ष विवश होकर याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी। याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता ने दारान बहस यह भी तर्क दिया कि उपकारागार हल्द्वानी में थाना कुण्डा पर एक अन्य मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 115/19 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित विचाराधीन बंदी अब्दुल करीम उर्फ कल्लन पुत्र अब्दुल हमीद की पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 28.09.2019 की रात्रि में मृत्यु होने के सम्बन्ध में सम्पादित मजिस्टटी जांच के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार जो लावारिक हालत में उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी व याची को मिली थी को थाना कुण्डा याची द्वारा चलाकर लाया जाना उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी के कहने पर अंकित कराया जाना कहा गया है जबकि कारण बताओ नोटिस संलग्नक–3 पृष्ठ सं0 62 में प्रारम्भ में ही यह भी उल्लिखित किया गया है कि "दिनांक 08.08.2019 का उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी के साथ आप वास्ते तामील एन0बी0डब्लू अभियुक्त विशाल पुत्र गोपाल सिंह, निवासी गंगेबाबा रोड, कटोराताल, थाना काशीपुर से सम्बन्धित मुकदमा एफआईआर 0 88/15 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम में रवाना हुये थे। आप द्वारा एक लावारिस सफेद स्विफ्ट कार नं0 यू0के0 19–1223 जो मंडी चौकी के ग्राम सरवरखेडा सरकारी स्कूल के पीछे खडी थी को थाने में लाकर लावारिस दाखिल किया गया।" याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त लावारिस कार को जब थाना हाजा पर दाखिल किया गया था तो उसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों में करने का दायित्व थाना मोहर्रिर व मालखाना मोहर्रिर का था इसके बावजूद याची को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही याची को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रस्तुत किया गया और न ही प्रारम्भिक जॉच की गयी बल्कि मजिस्टटी जांच के आधार पर ही याची को विपक्षी सं0 3 द्वारा सीधे–सीधे कारण बताओ नोटिस देते हुये लघुदण्ड परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया है जो पूरी तरह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः परिनिन्दा लेख आदेश दिनांक 15.02.2021 व अपीलीय आदेश दिनांक 14.08.2021 अपास्त किये जायें।

7. जबकि विद्वान सहायक शासकीय अधिकारी द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुये कहा गया कि निःसंदेह याची को दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि के सम्बन्ध में पृथक रूप से कोई प्रारम्भिक जॉच नहीं की गयी लेकिन एक अन्य मामल में उपकारागार हल्द्वानी में निरूद्ध बंदी की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मजिस्टटी जांच में याची व उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी के द्वारा लावारिस स्विफ्ट कार बरामदगी के सम्बन्ध में थाने पर दाखिल किये जाने पर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज नहीं करवाया गया, के सम्बन्ध में लापरवाही व अनुशासनहीनता पाते हुय याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के लघुदण्ड से दण्डित किया गया है जिसमें विपक्षी सं0 3 द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः याचिकाकर्ता की याचिका निरस्त की जावें।

8. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता को विपक्षी सं0 3 द्वारा दिनांक 15.02.2021

को परिनिन्दा लेख के लघुदण्ड से दण्डित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही याचीकर्ता से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक जॉच संस्थित की गयी, बल्कि एक अन्य मामला एफआईआर नं0 115/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित विचाराधीन बंदी अब्दुल करीम उर्फ कल्लन की मृत्यु के सम्बन्ध में संस्थित जॉच आख्या में याचीकर्ता व उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी थाना कुण्डा जनपद उधम सिंह नगर द्वारा मण्डी चौकी ग्राम सरवरखेडा सरकारी स्कूल के पीछे से एक लावारिस सफेद स्विफ्ट कार नं0 यू0क0 19—1223 को लावारिस हालत में बरामद कर थाना कुण्डा में दाखिल किया जाना कारण बताओ नोटिस में कहा गया है तथा उक्त लावारिस कार को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज नहीं करवाये जाने के आधार पर याचीकर्ता को अपने कर्तव्यों क प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक पाते हुये याची को परिनिन्दा लेख के लघुदण्ड से दण्डित किया गया है जबकि कारण बताओ नोटिस संलग्नक—3 कागज सं0 62 के प्रारम्भ में ही विपक्षी सं0—3 द्वारा उक्त लावारिस कार को लाकर थाने पर लावारिस दाखिल किया जाना उल्लिखित किया गया है। ऐसी स्थिति में यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जब याचीकर्ता व उपनिरीक्षक जगत सिंह भण्डारी द्वारा लावारिस स्विफ्ट कार को थाना कुण्डा पर दाखिल कर दिया गया था तो उसके पश्चात् निःसंदेह मालखाना रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों में प्रविष्टि किये जाने का कर्तव्य क्रमशः मालखाना मोहर्रिर व थाना मोहर्रिर का था, लेकिन प्रश्नगत मामले में चूंकि विपक्षी सं0 3 द्वारा न तो याचीकर्ता को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस देकर स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया और न ही कोइ प्रारम्भिक जांच संस्थित की गयी। जिससे यह स्पष्ट है कि निःसंदह याचीकर्ता को विपक्षी सं0 3 द्वारा सीधे किसी अन्य मामले मं संस्थित मजिस्टटी जांच के आधार पर दण्डित किया गया है, जो पूरी तरह विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। तद्नुसार, याचीकर्ता की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीकर्ता कां0 38 सी0पी0 विजय डसीला की याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं0 3 द्वारा याची के विरूद्ध पारित लघुदण्ड परिनिन्दा लेख आदेश दिनांक 15.02.2021 एवं विपक्षी सं0 2 द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 14.08.2021 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी सं0 3 को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी सं0 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर याची की सेवा पुस्तिका में दर्ज उपरोक्त परिनिन्दा प्रविष्टि को उक्त लघुदण्ड से प्रभावित अन्दर 30 दिन में विलोपित करते हुये याची को समस्त सेवा लाभ प्रदान करे। मामले की परिस्थितियों को देखते हुये पक्षकार वाद व्यय अपना—अपना वहन करेंगे।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्या0)

दिनांकः मई 23, 2022
नैनीताल।

बी0के0